

सेतु/राज्य योजना आयोग,  
(नियोजन विभाग)  
विश्वकर्मा भवन चतुर्थ तल, सचिवालय परिसर  
विज्ञप्ति

सेतु/राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, कार्यालय में स्थापित GIS Cell (Geographic Information System) के संचालन हेतु रिक्त पदों को आउटसोर्स सेवायें (Open Market) से अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया जाना है। इस सम्बन्ध में निम्न विवरणानुसार अनुबन्ध (नियत मानदेय) के आधार पर नियत कालिक नियुक्ति हेतु केवल ऑनलाईन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं—

| S.N. | Name of the post | No of Post | Essential Qualification and Experience                                                     | Honorarium In Rs.                                        |
|------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1    | GIS Specialist   | 01         | M.Sc. Remote Sensing and GIS/M.Sc. with P.G diploma in RS & GIS with three year experience | Rs. 1,00,000/ per month<br>(रु० एक लाख प्रतिमाह नियत)    |
| 2    | Manager IT       | 01         | M.Sc. Remote Sensing and GIS/M.Sc. with P.G diploma in RS & GIS with one year experience   | Rs. 50,000/ per month<br>(रु० पचास हजार प्रतिमाह नियत)   |
| 3    | GIS Technician   | 02         | M.Sc. Remote Sensing and GIS/P.G. diploma in RS & GIS                                      | Rs. 25,000/ per month<br>(रु० पच्चीस हजार प्रतिमाह नियत) |

GIS Cell हेतु भर्ती की शर्तें

- आवेदक की आयु आवेदन की अंतिम तिथि को 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उपरोक्त सभी पदों पर नियुक्तियां पूर्ण रूप से अनुबन्ध के आधार पर 03 वर्ष हेतु की जायेगी, जिसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। पदों के सापेक्ष समायोजन का कोई भी प्राविधान नहीं है।
- विस्तृत विज्ञापन, योग्यता, शर्तें तथा निर्देश सेतु/राज्य योजना आयोग की वेबसाइट <https://setu.uk.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है।
- आवेदन पत्र ऑनलाईन <https://setu.uk.gov.in> के माध्यम से दिनांक 15 मई, 2025 सांय 5:00 बजे तक संलग्नकों/प्रमाण-पत्रों सहित प्राप्त किये जायेंगे। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच (Scrutiny) के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक को पृथक रूप से सूचित किया जायेगा।
- आवेदनकर्ता को साक्षात्कार के समय अपनी शैक्षिक योग्यता, अधिमानी योग्यता तथा व्यावसायिक योग्यता व आयु का मूल प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- सेतु आयोग/राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को किसी भी अपूर्ण/अस्पष्ट सूचनाओं की दशा में आवेदन पत्र को निरस्त करने तथा जाँच (Scrutiny) करने पर अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसके लिए कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- आवेदक को चयन उपरान्त 20 दिन के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना होगा।
- साक्षात्कार में बुलाये गये अभ्यर्थियों को कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० मनोज कुमार पन्त)  
निदेशक।